(ग) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है और किस तारीख से इसे लागू किये जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) आम तौर पर खुदरा बाजार में मूल्य संबंधित थोक बाजार के मूल्यों के समान ही समय का अन्तराल होता है। तथापि, खुदरा और थोक मूल्यों के बीच उतार-चढ़ाव के परिमाण में अलग-अलग वस्तुओं और भिन्न-भिन्न बाजारों में उल्लेखनीय अन्तर होता है तथा यह सामान्यतः किस्म अथवा गुणवत्ता व्यापार मार्जिन, सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले करों इत्यादि जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है।

(ख) और (ग). कुछ चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को उनके थोक मूल्यों के रुख के अनुसार रखना, उचित मूल्य स्थिरता बनाये रखने की निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया का एक अंग है, जिसे सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तथापि, आम तौर पर खुदरा मूल्य, ढुलाई लागत, व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले स्थानीय करों और अन्य स्थानीय प्रभारों के कारण थोक मूल्यों की तुलना में अधिक होते हैं। जब कभी भी मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अन्तर के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है, तो उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने के अलावा आयात का सहारा लेकर उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाते हैं। सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार जैसे सरकारी अभिकरण अपनी स्थाई/चलते-फिरते बिक्री केन्द्रों के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा लोगों को इन वस्तुओं की आपूर्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से भी सुनिश्चित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाया जा रहा है, ताकि इसके लाभ दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंचाए जा सके। मूल्यों की अनुवीक्षा संबंधी अंतर्मंत्रालयिक समन्वय समिति मूल्य स्थिति की समीक्षा करती है और संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त एवं समय से कार्यवाही करने की सलाह दी देती है।

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु समितियां

697. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए सुझाव देने के लिये हाल ही में उच्चस्तर की चार सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान नियुक्त की गई समितियों या आयोगों के नाम क्या-क्या हैं और इन्हें कब नियुक्त किया गया था और क्या अब तक सरकार को उनकी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इन सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी हां। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को निर्धारित करने की विस्तार से जांच करने के लिये और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिये आवश्यक सुधारों का सुझाव देने हेतु 1994 में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की सिफारिश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की के लिए वर्ष 1993 में खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

Non-official committees on PDS in Maharashtra and Assam

698. SHRIMATI BASANTI SARMA :

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there are non-official committees on the Public Distribution System in Maharashtra and Assam;

(b) if so, when were they last reconstituted and what are their salient features; and

(c) the reasons for non-reconstitution of these committees for a long time ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (c) The operational responsibility for implemenation of Public Distribution System (PDS) is that of the State Governments and UT Administrations. Decisions relating to intra-region allocation. issue of ration cards eligibility criteria etc. are taken by the State Governments/UT Administrations. However, to ensure people's participation in the functioning of the PDS at the grass root level, the Central Government had advised all the States/UTs. to constitute Fair Price Shop level Vigilance Committees in the areas covered under Revamped Public Distribution System. Government of Maharashtra has reported that village level Vigilance Committees have been set up. Government of Assam has also reported that 4117 Fair Price Shop level vigilance Committees are functioning.

Fair Price Shops in Nagpur

699. DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether more Fair Price Shops will be allotted to Nagpur City in Maharashtra in view of the increase in its population ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY) : (a) to (c) The operational responsibility for implementation of Public Distribution System is that of State Governments and UT Administrations. Decisions relating to opening of new fair price shops, eligibility criteria for allotment of fair price shops, intra region allocation, issue of ration cards etc. are taken by the State Governments/UT Administrations. Detailed information as sought, is not maintained by the Central Government.

Revamping of PDS in Maharashtra and Punjab

700. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA :

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government is contemplating the revamping of the